राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम, जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारीः– श्री विकास शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 159/2024 प्रा0पत्र

अनवान

रूकमा देवी पत्नि भूर सिंह जाति रावत उम्र 64 साल निवासी काली काकर मेडिया काछबली तहसील भीम जिला राजसमंद।

.... वादीया

बनाम

जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार , तहसील भीम जिला राजसमंद

.... प्रतिवादी

उपस्थिति :–

01. वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चन्देल
02. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

<u>**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956**</u>

<u>**निर्णय**</u> **दिनांकः–** 13/09/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीया उपस्थित। वादीया का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया की मौजा बग्गड़ पटवार हल्का बग्गड़ भू.अभि.नि. बग्गड़ तहसील भीम में कृषि भूमि स्थित है जिसके खाता संख्या 301 खसरा संख्या 2299 रकबा 0.5018 किस्म बरानी 1 व खाता संख्या 566 खसरा संख्या 2306, 2307 रकबा कमशः 0.2185, 0.2307 किस्म कमशः बारानी 1, बारानी 1 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4492 है0 है। उक्त भूमि में वादीया का नाम रूकमणी देवी पत्नि भूर सिंह के स्थान पर रूकमा देवी पत्नि भूर सिंह दर्ज कराने हेतु निवेदन किया है। वादीया द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र, जमाबंदी की प्रतिलिपि एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। वादीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार भीम को मय नकल प्रार्थना पत्र सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार भीम द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार रिकॉर्ड में उपरोक्त नाम शुद्धि उचित है तथा इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वकील वादीया द्वारा बहस में भी प्रार्थना पत्र के बिन्दु दोहराये। हमने वादीया के प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, प्रस्तुत साक्ष्य, प्रतिवादी के जवाब का अवलोकन किया। उक्त आधार पर खाता संख्या 301 खसरा संख्या 2299 रकबा 0.5018 किस्म बरानी 1 व खाता संख्या 566 खसरा संख्या 2306, 2307 रकबा कमशः 0.2185, 0.2307 किस्म कमशः बारानी 1, बारानी 1 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4492 है0 भूमि में वादीया का नाम रूकमा देवी पत्नि भूर सिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/9/25 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला-राजसमन्द